कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

हबीबगंज भोपाल

क्रमांक: विक्रय/भो.ए.संघ/09 दिनांक: __/__/__

प्रति,

श्रीमती कीर्ति दुबे,
पहली लाईन, दुबे निवास,
इटारसी जिला-होशंगाबाद,
मध्य प्रदेश।

विषय :- साँची मिल्क पार्लर के संचालन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि साँची मिल्क पार्लर संचालन हेतु निम्न शर्तों पर आपको अधिकृत किया जाता है।

1. मिल्क पार्लर की फीस रू. 60,000/- संघ कार्यालय में जमा करें तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में उक्त लायसेंस फीस अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।
2. संघ की प्रतिभूति राशि रू. 60,000/- संघ कार्यालय में जमा कर उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. संघ को देय प्रथम वर्ष हेतु प्रीमियम ऑफर की राशि रू. 10,000 संघ कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में जमा करनी होगी यह राशि प्रति वर्ष अग्रिम रूप से आपको संघ में जमा कराना आवश्यक है।
4. मिल्क पार्लर में विद्युत कनेक्शन आपको स्वयं के व्यय पर कराना होगा।
5. दुग्ध पदार्थों को उचित प्रशीतन में रखने के लिए डीपफ्रीजर की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
6. पार्लर पर संघ द्वारा एवं दुग्ध पदार्थों का प्रदान संघ निर्धारित दरों पर किया जावेगा। इन दुग्ध पदार्थों को आपके द्वारा संघ की निर्धारित दरों पर ही विक्रय करना होगा।
7. मिल्क पार्लर का संचालन संघ के निर्देशानुसार करना आवश्यक है।
8. संघ द्वारा समय-समय पर जो भी शर्तें निर्धारित की जाती हैं उनका परिपालन आपके द्वारा किया जाना आवश्यक है।
9. संघ एवं म.प्र. शासन द्वारा जो भी कर आदि समय-समय पर लागू किये जाते हैं उन्हें संबंधित विभागों में जमा करने का दायित्व आपका होगा।
10. संघ द्वारा आपको समय-समय पर दुग्ध पदार्थों के विक्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जावेंगे जिन्हें प्राप्त करना आपका दायित्व होगा।
11. संघ द्वारा आपको प्रथमतः तीन वर्षों के लिए मिल्क पार्लर संचालन करने हेतु अधिकृत किया जाता है इस अवधि में आपके कार्य की समीक्षा कर अवधि में वृद्धि पर संघ द्वारा विचार किया जा सकेगा।
12. आपको साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ संघ द्वारा अग्रिम भुगतान पर ही प्रदाय किये जायेंगे।

/निरन्तर/

कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

हबीबगंज भोपाल

13. संघ के संचालन अवधि में किसी भी प्रकार की अनियमितता जैसे संघ की निर्धारित दरों से अधिक दरों पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय, एक्सपायरी या खराब गुणवत्ता के दुग्ध पदार्थों का विक्रय, संघ/उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार, हेरा-फेरी या अन्य कोई अनैतिक कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा तत्काल आपको रेल्वे पार्लर से हटाया जा सकेगा। साथ ही आपके द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. आपको भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के साथ अनुबंध निष्पादन करना होगा।
15. साँची मिल्क पार्लर आवंटन के पश्चात् पार्लर का संचालन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा संघ में जमा प्रतिभूति राशि जनहित में राजसात कर ली जावेगी।

आपके कार्यवाही उत्तर पत्र प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक: विपणन/भो.दु.संघ/09 **दिनांक:** ___/___/09

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य महाप्रबंधक (संयंत्र संचालन) भोपाल सह.दु.संघ की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (वित्त) भोपाल सह.दु.संघ की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन प्रति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी